रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 23 2013/माघ 3, 1934
No. 12] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 23, 2013/MAGHA 3, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2013

फा. सं. 11(5)/2009-डीबीए-II/एनईआर.—भारत सरकार ने चुनिंदा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/जिलों में उद्योगों की वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहां स्थित पात्र औद्योगिक इकाइयों को कुछ चुनिंदा क्षेत्रों से कच्चे माल और तैयार माल को लाने-ले जाने के लिए मालभाड़ा राजसहायता देने की निम्नलिखित योजना को अनुमोदित किया है :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक और उसका प्रारंभ.**—(1) इस योजना को मालभाड़ा राजसहायता योजना, 2013 कहा जाएगा ।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी ।

2. **व्याप्ति (कवरेज).**—जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, इस योजना में चुने हुए (क), (ख), (ग) और (घ) क्षेत्रों की सभी औद्योगिक इकाइयां शामिल होंगी ।

3. **परिभाषाएं.**—इस योजना में, जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) चुनिंदा क्षेत्र के संबंध में 'निर्धारित रेल हैड' का अर्थ, इस अधिसूचना के **अनुबंध-I** में ऐसे चुनिंदा क्षेत्रों के सामने उल्लिखित नजदीकी निर्धारित रेल हैड है ।

(ख) **'विविधीकरण'** का अर्थ किसी औद्योगिक इकाई द्वारा नई वस्तु (वस्तुओं) का विनिर्माण करना है । विविधीकृत वस्तुओं का बिक्री मूल्य, इकाई की पूर्ण पंजीकृत क्षमता पर गणना के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कारोबार के 25% से कम नहीं होना चाहिए ।

(ग) **'मौजूदा औद्योगिक इकाई'** का अर्थ ऐसी औद्योगिक इकाई से है जहां विनिर्माण क्रियाकलाप, इस योजना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पहले शुरू हुआ है ।

(घ) **'तैयार माल'** का अर्थ किसी औद्योगिक इकाई द्वारा वास्तव में उत्पादित माल से है जिसके लिए वह पंजीकृत है ।

(ङ) **'औद्योगिक इकाई'** का अर्थ ऐसी औद्योगिक इकाई से है जहां विनिर्माण क्रियाकलाप किया जा रहा है।

(च) **'विनिर्माण क्रियाकलाप'** का अर्थ "ऐसा क्रियाकलाप है जो निर्जीव भौतिक वस्तु या सामान या पदार्थ में ऐसा परिवर्तन लाए (i) जिसके फलस्वरूप उस वस्तु, सामान या पदार्थ का रूपांतरण, एक नई और भिन्न वस्तु या सामान या पदार्थ में हो जाए जिसका भिन्न नाम, विशेषता और उपयोग हो; अथवा (ii) जिसके कारण एक नई और भिन्न वस्तु, सामान या पदार्थ अस्तित्व में आ जाए जिसका रासायनिक संघटन अथवा संपूर्ण संरचना भिन्न हो।"

(छ) **'नई औद्योगिक इकाई'** का अर्थ ऐसी औद्योगिक इकाई से है जहां विनिर्माण क्रियाकलाप, इस योजना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि पर या उसके बाद शुरू हुआ है।

(ज) **'नोडल एजेंसी'** का अर्थ इस अधिसूचना के पैरा 12 के अंतर्गत इस योजना के तहत पात्र औद्योगिक इकाइयों को राजसहायता के संवितरण के लिए निर्धारित संबंधित एजेंसी से है।

(झ) **'कच्चे माल'** का अर्थ किसी औद्योगिक इकाई द्वारा ऐसे तैयार माल के विनिर्माण के लिए वास्तव में अपेक्षित और प्रयुक्त कच्चे माल से है, जिसके लिए वह इकाई पंजीकृत है।

(ञ) **'पंजीकृत क्षमता'** का अर्थ "उस क्षमता से है जिसके लिए इकाई केन्द्र/राज्य सरकार में पंजीकृत की गई है, जैसा कि औद्योगिक लाइसेंस/औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन भाग-ख/उद्यमिता ज्ञापन भाग-II में परिलक्षित है।"

(ट) **'योजना'** का अर्थ मालभाड़ा राजसहायता योजना, 2013 है।

(ठ) **'चुनिंदा क्षेत्र (क)'** का अर्थ अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य से है।

(ड) **'चुनिंदा क्षेत्र (ख)'** का अर्थ सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर राज्य से है।

(ढ) **'चुनिंदा क्षेत्र (ग)'** का अर्थ केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप से है।

(ण) **'चुनिंदा क्षेत्र (घ)'** का अर्थ हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और उत्तराखंड राज्य (हरिद्वार जिले को छोड़कर) से है।

(त) **'पर्याप्त विस्तार'** का अर्थ, अतिरिक्त पूंजीगत निवेश के माध्यम से औद्योगिक इकाई की पंजीकृत क्षमता में कम से कम 25% की वृद्धि से है। तथापि, यदि ऐसी वृद्धि दो या दो से अधिक औद्योगिक इकाइयों के विलय/आमेलन के कारण है तो इसे इस योजना के तहत राजसहायता के लिए पर्याप्त विस्तार के रूप में नहीं माना जाएगा।

4. **अवधि** – यह योजना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष के पश्चात स्वत: समाप्त हो जाएगी।

5. **अपात्र उद्योग/माल/आवाजाही (निषेध सूची)** – (1) इस अधिसूचना के <u>अनुबंध-II</u> में सूचीबद्ध औद्योगिक इकाइयां/वस्तुएं, इस योजना के तहत राजसहायता के लिए पात्र नहीं होंगी।

(2) जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, उस राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जहां औद्योगिक इकाई स्थित है, के भीतर कच्चे माल और तैयार माल को लाने, ले जाने हेतु इस योजना के तहत राजसहायता, उस औद्योगिक इकाई के लिए लागू नहीं होगी।

6. **अनुप्रयोज्यता** - जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो,

(1) यह योजना, चुनिंदा क्षेत्रों में स्थित तथा इस योजना की वैधता अवधि के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों की सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों पर लागू होगी, चाहे उनका आकार कैसा भी हो।

(2) इस योजना के तहत राजसहायता, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पात्र औद्योगिक इकाइयों हेतु स्वीकार्य होगी।

(3) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में इस योजना की वैधता अवधि के दौरान पर्याप्त विस्तार करने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त विस्तार के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तिथि से पांच वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए इस योजना के तहत पहले से ली गई राजसहायता के अलावा राजसहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) चुनिंदा क्षेत्रों में स्थित मौजूदा पात्र औद्योगिक इकाइयां भी इस योजना की शुरूआत के बाद उनके द्वारा किए गए पर्याप्त विस्तार या विविधीकरण के परिणामस्वरूप कच्चे माल और तैयार माल की ढुलाई पर आई अतिरिक्त परिवहन लागत के संबंध में इस योजना के तहत राजसहायता के लिए पात्र होंगी। ऐसे मामलों में राजसहायता, पर्याप्त विस्तार अथवा विविधीकरण के परिणामस्वरूप आवश्यक अतिरिक्त कच्चे माल तथा अतिरिक्त तैयार माल की परिवहन लागत तक सीमित होगी।

7. राजसहायता की मात्रा – (1) जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, चुनिंदा क्षेत्र (क) में स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए राजसहायता की मात्रा की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

(क) कच्चे माल की नजदीकी रेल हैड अर्थात सिलीगुड़ी/न्यू जलपाईगुड़ी से औद्योगिक इकाई के स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन तक रेल से ढुलाई और इसके बाद सड़क मार्ग से औद्योगिक इकाई स्थान तक ढुलाई की लागत के 90% हिस्से की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसी प्रकार, तैयार माल की परिवहन लागत की गणना करते समय, औद्योगिक इकाई से सड़क द्वारा नजदीकी रेलवे स्टेशन तक ढुलाई की लागत तथा तत्पश्चात रेल द्वारा सिलीगुड़ी/न्यू जलपाईगुड़ी तक ढुलाई की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। पूरी तरह सड़क या परिवहन के अन्य साधन द्वारा माल की ढुलाई के लिए परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति, उतनी ही होगी जितना कच्चे माल को सिलीगुड़ी/न्यू जलपाईगुड़ी से रेल द्वारा औद्योगिक इकाई के नजदीकी रेलवे स्टेशन तक तथा तत्पश्चात सड़क द्वारा ढुलाई पर औद्योगिक इकाई द्वारा खर्च किया जाता। इसी प्रकार, ऐसे चुनिंदा क्षेत्रों में पूरी तरह सड़क या परिवहन के अन्य साधन द्वारा तैयार माल की ढुलाई के लिए परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति उतनी ही होगी जितनी राशि औद्योगिक इकाई द्वारा तैयार माल की औद्योगिक इकाई से सड़क द्वारा नजदीकी रेलवे स्टेशन तक ढुलाई तथा तत्पश्चात रेल द्वारा सिलीगुड़ी/न्यू जलपाईगुड़ी तक ढुलाई के लिए दी जाती। अंतर्देशीय जल परिवहन द्वारा कच्चे माल/तैयार माल की ढुलाई के मामले में, एक औद्योगिक इकाई ऐसे चुनिंदा क्षेत्र में कच्चे माल को लाने और तैयार माल को बाहर ले जाने के संबंध में धुब्री से अंतर्देशीय जल परिवहन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग-2 के साथ-साथ सादिया तक स्थित किसी अन्य स्थान तक लाने, ले जाने की परिवहन लागत तथा तत्पश्चात औद्योगिक इकाई तक सड़क मार्ग द्वारा तथा इसके विलोमत: लाने ले जाने की परिवहन लागत के 90% के बराबर राजसहायता के लिए पात्र होगी। तथापि, ऐसे मामलों में राजसहायता, औद्योगिक इकाई द्वारा सामान की रेल मार्ग द्वारा सिलीगुड़ी/न्यू जलपाईगुड़ी (निर्धारित रेल हैड) से औद्योगिक इकाई के नजदीकी रेलवे स्टेशन तक तथा तत्पश्चात सड़क द्वारा इकाई तक तथा इसके विलोमत: ढुलाई पर औद्योगिक इकाई द्वारा भुगतान की गई राशि के 90% की सीमा के अध्यधीन होगी।

(ख) उपर्युक्त क्षेत्र के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में कच्चे माल की ढुलाई की परिवहन लागत की 90% प्रतिपूर्ति। वास्तविक परिवहन लागत अथवा कच्चा माल प्राप्त किए जाने के स्थान से इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन तक सड़क द्वारा ढुलाई की लागत और इसके बाद उस रेलवे स्टेशन से औद्योगिक इकाई के नजदीकी रेलवे स्टेशन तक रेल द्वारा और इसके बाद सड़क द्वारा औद्योगिक इकाई तक ढुलाई की लागत, जो भी कम हो, के अनुसार गणना की जाएगी।

(ग) उपर्युक्त क्षेत्र के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में तैयार माल को लाने, ले जाने की परिवहन लागत की 50% की प्रतिपूर्ति। वास्तविक परिवहन लागत अथवा सड़क द्वारा औद्योगिक इकाई से नजदीकी रेलवे स्टेशन और इसके बाद तैयार माल प्राप्त किए जाने के स्थान से रेल द्वारा नजदीकी रेलवे स्टेशन तक और इसके बाद उस स्टेशन से सड़क मार्ग द्वारा तैयार माल प्राप्त होने के स्थान तक ढुलाई की लागत, इनमें जो भी कम हो, को गणना में लिया जाएगा।

(घ) इस्पात को कच्चे माल के रूप में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के गुवाहाटी स्टॉकयार्ड से औद्योगिक इकाई तक लाने ले जाने के लिए परिवहन लागत की 90% प्रतिपूर्ति।

(ङ) इलैक्ट्रॉनिक संघटकों/उत्पादों को आंशिक रूप से हवाई जहाज द्वारा तथा आंशिक रूप से रेल/सड़क मार्ग द्वारा लाने ले जाने पर हवाई माल भाड़े की 75% प्रतिपूर्ति। राजसहायता कोलकाता से औद्योगिक इकाई के नजदीकी हवाई अड्डे तक हवाई मालभाड़े पर 75% की दर से तथा तत्पश्चात रेल/सड़क मार्ग द्वारा औद्योगिक इकाई तक और इसके विलोमत: लाने ले जाने के लिए 90% की दर से स्वीकार्य होगी।

(2) जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, चुनिंदा क्षेत्र (ख) में स्थित औद्योगिक इकाई के लिए स्वीकार्य राजसहायता की मात्रा इस प्रकार होगी:-

(क) यदि चुनिंदा क्षेत्र में कच्चा माल लाया जाता है और तैयार माल यहां से बाहर ले जाया जाता है तो सड़क द्वारा औद्योगिक इकाई के स्थान तथा नजदीकी विनिर्दिष्ट रेल हैड के बीच तथा उसके विलोमत: कच्चा माल और/अथवा तैयार माल लाने ले जाने के लिए परिवहन लागत के 90% अथवा वास्तविक लागत इनमें से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ख) जम्मू तथा कश्मीर राज्य में स्थित औद्योगिक इकाइयों के मामले में, यदि इलैक्ट्रानिक पुर्जों/उत्पादों को आंशिक रूप से हवाई जहाज द्वारा तथा आंशिक रूप से रेल/सड़क द्वारा लाया ले जाया जाता है तो राजसहायता की प्रतिपूर्ति दिल्ली से औद्योगिक इकाई के नजदीकी एयरपोर्ट तक के हवाई भाड़े के 75 प्रतिशत की दर से तथा इसके पश्चात औद्योगिक इकाई के स्थान तक तथा उसके विलोमत: रेल/सड़क द्वारा सामान लाने ले जाने के लिए 90 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

(3) जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, चुनिंदा क्षेत्र (ग) में स्थापित औद्योगिक इकाई को प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार्य राजसहायता की मात्रा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मामले में, चेन्नई बंदरगाह और औद्योगिक इकाई के स्थान तक और लक्षद्वीप के मामले में, कोचीन बंदरगाह और औद्योगिक इकाई के स्थान तक समुद्री और सड़क परिवहन लागत की 90 प्रतिशत होगी यदि ऐसे चुनिंदा क्षेत्र में कच्चा सामान लाया जाता है और तैयार माल वहां से बाहर ले जाया जाता है। यदि मालभाड़ा राजसहायता के प्रयोजन से मुख्य भूमि के किसी दूसरे बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है, तो परिवहन लागत उतनी ली जाएगी जितनी औद्योगिक इकाई द्वारा चेन्नई अथवा कोचीन बंदरगाह, जैसी भी स्थिति हो, के उपयोग करने में आई होती अथवा वास्तविक लागत ली जाएगी, इन दोनों में जो भी कम हो।

(4) जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, चुनिंदा क्षेत्र (घ) में स्थित औद्योगिक इकाई के लिए स्वीकार्य राजसहायता की मात्रा इस प्रकार होगी:-

337 GI/13-2

(क) यदि ऐसे चुनिंदा क्षेत्र में कच्चा माल लाया जाता है और तैयार माल पर वहां से बाहर ले जाया जाता है तो औद्योगिक इकाई के स्थान तथा नजदीकी विनिर्दिष्ट रेल हैड के बीच तथा उसके विलोमत: कच्चा माल और/अथवा तैयार माल लाने ले जाने की परिवहन लागत का 75%।

(ख) हिमाचल प्रदेश राज्य में परवानू में स्थित भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) के स्टॉकयार्ड से औद्योगिक इकाई के स्थान तक कच्ची सामग्री के रूप में इस्पात को लाने ले जाने की परिवहन लागत का 75%।

(ग) उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के पात्र जिलों में स्थित राज्य कॉरपोरेशन के विनिर्दिष्ट डिपो से राज्य के पहाड़ी जिलों में स्थित औद्योगिक इकाई के स्थल तक औद्योगिक कच्चे माल को लाने ले जाने की परिवहन लागत का 75%।

(घ) हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित औद्योगिक इकाईयों के मामले में यदि इलैक्ट्रानिक पुर्जों/उत्पादों को आंशिक रूप से हवाई जहाज द्वारा तथा आंशिक रूप से रेल/सड़क द्वारा लाया ले जाया जाता है, तो मालभाड़ा राजसहायता की प्रतिपूर्ति दिल्ली से औद्योगिक इकाई के नजदीकी एयरपोर्ट तक के हवाई भाड़े के 75 प्रतिशत की दर से तथा इसके पश्चात औद्योगिक इकाई के स्थान तक तथा उसके विलोमत: रेल/सड़क द्वारा सामान लाने ले जाने के लिए 75 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

8. योजना के तहत पंजीकरण – (1) वह औद्योगिक इकाई, जो योजना के तहत राजसहायता का दावा करने की इच्छुक हैं, नई औद्योगिक इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से पूर्व अथवा मौजूदा औद्योगिक इकाई पर्याप्त विस्तार करने से पूर्व संबंधित जिला औद्योगिक केंद्र में पंजीकरण करवाएगी ।

(2) संबंधित जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। यदि कोई औद्योगिक इकाई इस अधिसूचना के अनुबंध-II में दी गई निषेध सूची के तहत शामिल है तो इस योजना के तहत लाभ के लिए उस औद्यगिक इकाई को पंजीकृत नहीं की जानी चाहिए।

9. योजना के तहत दावा प्रस्तुत करना – (1) औद्योगिक इकाई, जो इस योजना के तहत राजसहायता का दावा कर रही है, कच्ची सामग्री तथा तैयार माल, जिसके लिए उसके द्वारा राजसहायता का दावा किया जा रहा है, के परिवहन पर किए गए खर्च की तारीख से एक वर्ष के भीतर संबंधित जिला उद्योग केंद्र को अपेक्षित दस्तावेजों सहित समय-समय पर लागू निर्धारित प्रपत्र में अपना दावा प्रस्तुत करेगी। प्रत्येक दावा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की सूची इस अधिसूचना के अनुबंध-III में दी गई है। इसके अलावा इस योजना के तहत केवल पहले दावे के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की सूची इस अधिसूचना के अनुबंध-IV में दी गई है। संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र अथवा केंद्र सरकार कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना भी निर्धारित कर सकती है, जो उनके विचार में इस योजना के तहत राजसहायता का दावा करने वाली औद्योगिक इकाई की पात्रता निर्धारित करने के लिए आवश्यक है।

(2) इस योजना के तहत राजसहायता दावों की संख्या जिसकी वरीयता एक औद्योगिक इकाई द्वारा की जा सकती है, वह प्रत्येक तिमाही में एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, यदि औद्योगिक इकाई की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो, तो उद्योग निदेशक, अपने विवेक पर एक वित्तीय वर्ष में दावों की अधिक संख्या पर विचार कर सकते हैं।

10. योजना के तहत राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन की भूमिका तथा कार्य-(1) संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत से पहले योजना के तहत राजसहायता की मांग करने वाली औद्योगिक इकाईयों के पंजीकरण के लिए एक व्यवस्था निर्धारित करेंगे। ऐसे पंजीकरण के समय इकाईयां औद्योगिक लाईसेंस/औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन-भाग-क/ उद्यमी ज्ञापन-I में बताए अनुसार अपनी क्षमता की घोषणा करेंगी।

(2) योजना के तहत राजसहायता का संवितरण करने, राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र में प्राप्त सभी राजसहायता दावों पर विचार करने तथा सिफारिश करने के लिए संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन एक राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) का गठन करेंगे, जिसमें प्रधान सचिव/सचिव (संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र के उद्योग विभाग), संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र के उद्योग निदेशक तथा संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र के वित्त विभाग, संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र के परिवहन विभाग, संबंधित नोडल ऐजेंसी और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(3) संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन योजना के तहत राजसहायता के दावों की जांच करने के लिए प्रक्रिया एवं व्यवस्था तैयार करेंगे।

(4) संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन कच्चे माल की खपत तथा तैयार माल के उत्पादन की जांच प्रणाली और बिजली की खपत, वैट के भुगतान, उत्पाद शुल्क आदि के परस्पर सत्यापन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सामयिक जांच करेगा कि ऐसा कच्चा माल और तैयार माल, जिसके के संबंध में योजना के तहत राजसहायता दी गई है, वास्तव में इस प्रयोजन के लिए उपयोग/उत्पादित किया गया था।

(5) पात्र औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावा दस्तावेजों की संबंधित जिला उद्योग केंद्र द्वारा जांच की जाएगी तथा उनके अधिकारी औद्योगिक इकाई की वास्तविक जांच करेंगे, ताकि इसकी उद्योग निदेशालय को आगे विचारार्थ सिफारिश भेजने से पहले इसके भौतिक अस्तित्व तथा दावे की सच्चाई सुनिश्चित की जा सके।

(6) संबंधित राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र के उद्योग निदेशालय राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत करने से पहले दावा दस्तावेजों तथा जिला उद्योग केंद्र की सिफारिश की जांच करेंगे। वे राज्य स्तरीय समिति की बैठकों का समन्वय करेंगे; ऐसी बैठकों की कार्यसूची टिप्पण तथा कार्यवृत तैयार करेंगे।

(7) संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन इस योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक औद्योगिक इकाई के संबंध में इस अधिसूचना के अनुबंध-V के अनुसार एक मैट्रिक्स का रखरखाव करेगा। संबंधित उद्योग निदेशालयों के निदेशक एवं वित्तीय सलाहकार एसएलसी के समक्ष उसके विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक दावे के लिए एसएलसी को इस अधिसूचना के अनुबंध-V। के अनुसार एक जांच सूची प्रस्तुत करेगा।

(8) संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन एसएलसी द्वारा सिफारिश किए गए राजसहायता दावों को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(9) संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि दावा मामलों के संचयन से बचने के लिए प्रत्येक तीन माह में एसएलसी की कम से कम एक बैठक हो। **अनुबंध-VI** के अनुसार दावा मामलों का ब्यौरा देते हुए एसएलसी बैठक के लिए कार्यसूची टिप्पण एसएलसी के सभी सदस्यों को कम से कम दो सप्ताह पहले परिचालित की जाएगी।

11. एसएलसी की भूमिका एवं कार्य- (1) एसएलसी राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र स्तर पर कार्य करेगी और संबंधित राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र में योजना के तहत राजसहायता के लिए प्राप्त सभी दावों की जांच तथा सिफारिश करेगी।

(2) एसएलसी यह सुनिश्चित करेगी कि सिफारिशें समुचित सावधानी से तथा संबंधित विभागों के दस्तावेजों के सत्यापन के बाद की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा कच्चा माल/तैयार माल, जिसके लिए राजसहायता की सिफारिश की जा रही है, वास्तव में लाया-ले जाया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एसएलसी द्वारा सिफारिश की गई राजसहायता राशि में कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन के लिए इकाई द्वारा किया गया कोई नगद भुगतान शामिल नहीं हो।

(3) अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ-साथ एसएलसी यह भी सुनिश्चित करेगी कि दावाकर्ता ने चुनिंदा राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र जिसमें इकाई स्थित है, में "आयातित" कच्चे माल और वहां से निर्यात किए गए" तैयार माल के बारे में पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। एसएलसी किन्हीं अन्य दस्तावेजों को, जो उसके विचार से योजना के तहत सहायता की पात्रता निश्चित करने के लिए आवश्यक हैं, प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र के उद्योग निदेशालय उनके द्वारा किए गए इस प्रकार के सत्यापन का प्रमाण पत्र देंगे।

(4) एसएलसी यह भी सुनिश्चित करेगी कि इकाई द्वारा दावा की जा रही राजसहायता उनके अपने वाहनों द्वारा कच्चा माल और तैयार माल के परिवहन से संबंधित नहीं हो।

12. नोडल एजेंसी- (1) जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, योजना के तहत राजसहायता के संवितरण के लिए संबंधित नोडल एजेंसी इस प्रकार होंगी:-

(क)अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्य के लिए पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई);

(ख)हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लि. (एचपीएसआईडीसी);

(ग) जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लि. (जेकेडीएफसी) और

(घ) उत्तराखंड राज्य के लिए उत्तरांचल राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एसआईडीसीयूएल)

(2) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए औद्योगिक इकाइयों को राजसहायता का संवितरण केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से किया जाएगा।

(3) पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के मामले में औद्योगिक इकाइयों को राजसहायता का संवितरण राज्य सरकार के माध्यम से किया जाएगा।

13. **नोडल एजेंसी की भूमिका और कार्य-** (1) नोडल एजेंसी योजना के उपबंधों तथा समय-समय पर उसे अलग से जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार मालभाड़ा राजसहायता के दावों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी की गई निधि से इलैक्ट्रोनिक विधि से पात्र औद्योगिक इकाइयों को मालभाड़ा राजसहायता संवितरित करेगी।

(2) राजसहायता के संवितरण के तुरंत बाद, लेकिन केंद्र सरकार से निधि प्राप्त करने की तारीख से एक माह के भीतर, नोडल एजेंसियां उन औद्योगिक इकाइयों की सूची के साथ जिन्हें राजसहायता संवितरित की गई है और साथ ही संवितरण की तारीख, भुगतान की विधि आदि का ब्यौरा देते हुए, सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के तहत विनिर्दिष्ट उपयोग प्रमाणपत्र औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को प्रस्तुत करेंगी। यदि नोडल एजेंसी केंद्र सरकार द्वारा ऐसी औद्योगिक इकाइयों के लिए निधि जारी करने की तारीख से एक माह के भीतर कुछ औद्योगिक इकाइयों को राजसहायता का संवितरण नहीं कर पाती है तो संबंधित नोडल एजेंसी द्वारा ऐसी औद्योगिक इकाइयों की सूची के साथ उसे निधि संवितरण न कर पाने के कारण केंद्र सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे तथा एक प्रति संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासन को भी भेजी जाएगी।

14. **केंद्र सरकार की भूमिका** - (1) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवधिक रूप से दावों की जांच, मालभाड़ा राजसहायता का भुगतान, आदि की प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी और उसमें संशोधन हेतु सुझाव दिए जाएंगे।

(2) जहां, भी आवश्यक होगा, पात्र औद्योगिक इकाइयों को संवितरण हेतु नोडल एजेंसियों को निधि जारी करने से पहले, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग एसएलसी द्वारा संस्तुत राजसहायता दावों की पूर्व-जांच की व्यवस्था करेगा।

(3) स्कीम के किसी भी उपबंध के संबंध में अपेक्षित कोई भी स्पष्टीकरण औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा दिया जाएगा और वह स्पष्टीकरण सभी संबंधित पक्षों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

15. **स्कीम की अन्य विशेषताएं** – (1) सड़क/समुद्री मार्ग से ढुलाई हेतु मालभाड़ा शुल्क संबंधित केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा समय-समय पर निश्चित किए जाने वाले

परिवहन/पोतांतरण दरों के आधार पर अथवा वास्तव में दिए गए मालभाड़ा, जो भी कम हो, के आधार पर तय किए जाएंगे।

(2) परिवहन लागतें तय करने के प्रयोजन से, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे/पत्तन से औद्योगिक इकाई के स्थल तक माल की लदाई एवं उतराई तथा अन्य संचालन प्रभारों की लागत हिसाब में नहीं ली जाएगी।

(3) 1,00,000 रुपए अथवा इससे कम पूंजी निवेश वाली लघु उद्योग इकाइयों के मामले में, कच्चे माल के प्रमाण के संबंध में, जहां औद्योगिक इकाई स्थित है वहां चुनिंदा राज्यों/केंद्र शासित राज्यों/क्षेत्रों में मंगाए गए तथा वहां से 'बाहर भेजे' गए तैयार माल के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता से इस शर्त पर छूट दे दी जाए कि राजसहायता की स्वीकृति से पूर्व संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्रों के प्राधिकरणों द्वारा ऐसे दावों का उचित रूप से सत्यापन किया जाए। राज्य सरकार/केंद्र शासित राज्य अपने द्वारा किए गए ऐसे सत्यापन का प्रमाण-पत्र देंगे।

(4) मिजोरम राज्य में यदि रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट उपलब्ध न होने के कारण मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के लिए रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना संभव न हो तो औद्योगिक इकायों से यह कहा जा सकता है कि वे कच्चे माल/तैयार माल के परिवहन हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण-पत्र के स्थान पर बिक्री कर प्राधिकारियों से प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएं जिस पर राज्य के उद्योग कमिश्नर/निदेशक के प्रतिहस्ताक्षर हों। रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट की उपलब्धता के संबंध में मिज़ोरम राज्य सरकार द्वारा नियमित आधार पर स्थिति की समीक्षा की जाए और जैसे ही रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट उपलब्ध हो जाए, प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की यह वैकल्पिक व्यवस्था निरस्त कर दी जाए तथा उसके बाद औद्योगिक इकाइयों से किसी रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही अपेक्षित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने को कहा जाए।

16. किसी औद्योगिक इकाई द्वारा दिए गए समस्त झूठे विवरणों अथवा उसके द्वारा किए गए मिथ्या कथन से, वह इस स्कीम के तहत मालभाड़ा राजसहायता अनुदान के लिए अयोग्य हो जाएगी। तथापि, अयोग्य घोषित किए जाने से पहले, औद्योगिक इकाई को अपना पक्ष स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

17. दिनांक 23 जुलाई, 1971 की अधिसूचना सं. एफ 6(26)/71 आईसी के द्वारा घोषित और समय-समय पर यथा संशोधित, 'परिवहन राजसहायता योजना 1971' नई इकाइयों के लिए इस स्कीम की अधिसूचना की तारीख से बंद हो जाएगी। ऐसी औद्योगिक इकाइयां जिन्होंने इस स्कीम की अधिसूचना से पूर्व ही वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने की सूचना दे दी हो तथा 'परिवहन राजसहायता योजना 1971' के उपबंधों के तहत उनके द्वारा राजसहायता का दावा किया जा रहा हो, वे 'परिवहन राजसहायता योजना 1971' द्वारा ही संचालित होती रहेंगी। लेकिन 'परिवहन राजसहायता योजना 1971' के तहत पंजीकृत कोई औद्योगिक इकाई, जिसने मालभाड़ा राजसहायता योजना, 2013 से सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पहले 'परिवहन राजसहायता योजना 1971' के तहत राजसहायता का दावा न किया हो, मालभाड़ा राजसहायता योजना, 2013 के तहत 'नई औद्योगिक इकाई' के तौर पर शामिल होगी, अन्यथा मालभाड़ा राजसहायता योजना, 2013 के उपबधों के तहत राजसहायता की पात्र हो। ऐसी औद्योगिक इकाइयों का परिवहन राजसहायता योजना, 1971 के तहत किया गया पंजीकरण संबंधित जिला उद्योग केंद्र द्वारा मालभाड़ा राजसहायता योजना, 2013 के तहत हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

18. संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र तथा नोडल एजेंसी, मालभाड़ा राजसहायता योजना और परिवहन राजसहायता योजना, 1971 के लिए आंकड़ों का रख-रखाव अनुबंध-V में प्रपत्र के अनुसार अलग-अलग करेंगे।

19. इस योजना के किसी भी भाग में जनहित में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार भारत सरकार के पास सुरक्षित है।

20. भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन निर्णयों को लागू करने के उद्देश्य से अपने-अपने अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं, आदि में संशोधन कर आवश्यक अनुदेश जारी करें।

शुभ्रा सिंह, संयुक्त सचिव

अनुबंध – I

मालभाड़ा राजसहायता योजना के तहत निर्धारित रेल शीर्ष

चुनिंदा क्षेत्र	निर्धारित रेल शीर्ष
I. जम्मू और कश्मीरú	(i) जम्मू; (ii) कठुआ; (iii) उधमपुर
II. हिमाचल प्रदेश	(i) कालका; (ii) कीरतपुर साहिब; (iii) पठानकोट; और (iv) जगाधरी (यमुना नगर)
III. उत्तराखंड राज्य जिसमें देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढवाल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तर काशी, और चमोली जिले शामिल हैं।	(i) ऋषिकेश; (ii) रामपुर; (iii) हर्रावाला; (iv) ज्वालापुर; (v) लक्सर; (vi) रुड़की; (vii) हल्दी रोड़; (viii) रूद्रपुर सिटी; (ix) बिलासपुर रोड; (x) काशीपुर

IV. पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित)	(i) सिलीगुड़ी; (ii) न्यू जलपाईगुड़ी;
V. पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला	(i) सिलीगुड़ी; (ii) न्यू जलपाईगुड़ी.

अनुबंध II

मालभाड़ा राजसहायता योजना, 2013 के लिए निषेध सूची

1. निम्नलिखित औद्योगिक इकाईयां मालभाड़ा राजसहायता योजना, 2013 के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी

(i) बागान, रिफाइनरियां तथा विद्युत उत्पादन इकाइयां;

(ii) पर्यावरण संबंधी मानकों का पालन न करने वाली इकाइयां अथवा ऐसी इकाइयां जिन्हें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण संबंधी प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसइआईएए) से लागू पर्यावरण संबंधी मंजूरी नहीं मिली हो अथवा जिनके पास संबंधित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना अथवा प्रचालन के लिए अपेक्षित सहमति न हो, भी योजना के तहत राजसहायता के लिए पात्र नहीं होंगी।

(iii) सरकार द्वारा जब भी आवश्यक समझा जाएगा अलग अधिसूचना के जरिए कोई अन्य उद्योग/क्रियाकलाप। यह ऐसी अधिसूचनाओं की तारीख से लागू होगा।

2. निम्नलिखित कच्चा माल/तैयार माल मालभाड़ा राजसहायता योजना, 2013 के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होगा

(i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची का अध्याय 24, जो तंबाकू एवं विनिर्मित तंबाकू प्रतिस्थापकों से संबंधित है, के तहत शामिल सभी वस्तुएं।

(ii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 21 के तहत शामिल पान मसाला।

(iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.आ. 705 (अ) दिनांक 02.09.1999 तथा सा.आ. 698 (अ) दिनांक 17.06.2003 द्वारा विनिर्दिष्ट 20 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग।

(iv) केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 27 के तहत आने वाली वस्तुएं, जो पेट्रोलियम तेल अथवा गैस रिफाइनरों द्वारा उत्पादित की जाती हैं।

(v) कम मूल्य वर्धन कार्यकलाप जैसे भंडारण के दौरान परिरक्षण, शुद्ध करने संबंधी परिचालन, पैकिंग, पुनः पैकिंग या पुनः लेबल लगाना, छांटना, खुदरा बिक्री कीमत आदि में बदलाव करना।

(vi) कोक (कैल्साइंड पेट्रोलियम कोक सहित)।

(vii) फ्लाई एश ।

अनुबंध- III

जांच – सूची, जिसमें माल-भाड़ा राजसहायता योजना, 2013 के तहत राजसहायता के पहले दावे के समय इकाई द्वारा जिला उद्योग केंद्र को सूचना दी जाएगी

1. इकाई का नाम और पता
2. लघु उद्योग / आईईएम पंजीकरण
3. वास्तविक निरीक्षण की तिथि
4. परिवहन राजसहायता पंजीकरण प्रमाणपत्र
5. पहले वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि
6. बिक्री कर पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या
7. आयकर पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या
8. इकाई के नाम पर पैन कार्ड संख्या
9. निदेशक मंडलों / भागीदारों की सूची (पैन कार्ड संख्या के साथ)
10. संस्था के अन्तर्नियम अथवा बहिर्नियम/ भागीदारी विलेख
11. कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र
12. भूमि दस्तावेज
13. सेवा कर पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या
14. राज्य विद्युत बोर्ड / विद्युत विभाग का बिजली मंजूरी पत्र और यदि लागू हो तो डीजी सेट के अधिष्ठापन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र
15. बैंक खाता नंबर और नाम
16. क्षमता निर्धारण प्रमाणपत्र जिसमें प्रति इकाई बिजली और डीजल की खपत के अनुसार तैयार माल की मात्रा बताई गई हो (एमएसएमई के संबंधित अधिकारियों, आयुक्त उद्योग और जिला उद्योग केंद्र के द्वारा संयुक्त निर्धारण रिपोर्ट)
17. फैक्टरी लाइसेंस संख्या और तारीख
18. स्थानीय प्राधिकारी (ग्राम पंचायत, नगर निगम, आदि) से अनापत्ति प्रमाणपत्र
19. खान एवं खनिज विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
20. सक्षम प्राधिकारी से सड़क / रेल / आईडब्ल्यूटी के लिए दूरी पात्रता प्रमाणपत्र
21. क्या इस इकाई को निषेध सूचि शामिल किया गया है?

337 GI/13-4

अनुबंध- IV

जांच – सूची, जिसमें माल-भाड़ा राजसहायता योजना, 2013 के तहत राजसहायता के प्रत्येक दावे के समय इकाई द्वारा जिला उद्योग केंद्र को सूचना दी जाएगी

1. इकाई का नाम और पता
2. दावे की अवधि
3. जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र में दावे की प्राप्ति की तारीख
4. डीआई और सीसी की वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट
5. कच्चे माल के खरीद का विवरण
6. दावा अवधि के दौरान कच्चे माल और तैयार उत्पादों के उपयोग को दर्शाने वाला विवरण
7. दावा अवधि के दौरान एनईआर के बाहर / एनईआर के भीतरी स्थानों के लिए ले जाये गये तैयार माल का विवरण
8. संबंधित अवधि के लिए वैट मंजूरी प्रमाणपत्र
9. वैट भुगतान चालान/ वैट वापसी
10. निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र कि इकाई ने किसी अन्य स्रोत से राजसहायता का दावा नहीं किया है
11. संबंधित अवधि के दौरान आवक और जावक माल-वाहन को दर्शाता तुलनपत्र
12. संबंधित अवधि के लिए बिजली के बिल और भुगतान का प्रमाण
13. संबंधित अवधि के लिए कच्चे माल और तैयार वस्तुओं के संबंध में सीए प्रमाणपत्र
14. संबंधित अवधि के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र
15. संबंधित अवधि के लिए आपूर्तिकर्ता से खरीदे गए कच्चे माल के बिल एवं चालान
16. संबंधित अवधि के लिए ट्रांसपोर्टरों से माल (कच्चे माल/ तैयार उत्पादों) की ढुलाई की रसीद
17. तैयार माल को भेजने संबंधी बिल और चालान प्रेषण नोट
18. इकाई द्वारा उत्पादित उत्पाद शुल्क योग्य माल के मामले में:
    (क) आबकारी विभाग से तिमाही आधार पर मंजूरी प्रदान की गई मात्रा दर्शाता प्रमाणपत्र
    (ख) मात्रा और मूल्य को दर्शाता उत्पाद शुल्क भुगतान चालान/वापसी का विवरण

अनुबंध- IV (जारी)

19. स्थानीय बिक्री के मामले में भुगतान रसीद के ब्यौरे के साथ (नकद, चेक आदि) खरीदारों के विस्तृत पते; विवरण के गठन आधार ब्यौरे पर सीए प्रमाणपत्र;

20. एनईआर के बाहर से और एनईआर भीतर से आर एम की खरीद के मामले में : चालान की प्रतिलिपि और ट्रांसपोर्टर द्वारा क्रेता को पृष्ठांकित प्रेषण नोट

21. सक्षम प्राधिकारी से कर्मचारियों की सूची सहित रोजगार प्रमाण पत्र;

22. इकाई द्वारा संबंधित अवधि के लिए कारखाने से और कारखाने तक कच्चे माल और तैयार माल ढोने वाले ट्रकों की पंजीकरण संख्या को प्रमाणित करने वाला शपथ-पत्र

23. कारखाने से और कारखाने तक कच्चे माल और तैयार माल को ढोने वाले वाहनों की आर सी एवं परिवहन विभाग द्वारा जारी सड़क-परमिट अथवा ट्रक संख्या को उल्लेख करती प्रामाणिक सरकारी दस्तावेजों की साक्ष्यांकित प्रतियाँ।

24. क्या इकाई का विस्तार किया गया है? यदि हां, तो नई क्षमता के निर्धारण संबंधी प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए

25. इस अवधि के दौरान ट्रांसपोर्टरों को किए गए भुगतान के लिए बैंक विवरण (केवल चेक द्वारा भुगतान)

26. एनईआर के बाहर या एनईआर के भीतर बेचे गए तैयार उत्पादों के मामले में:

(क) पार्टी को बेचे गये माल संबंधी सी - फार्म की प्रतिलिपि और

(ख) क्रेताओं द्वारा माल प्राप्ति रसीद की प्रतिलिपि

27. क्या इस अवधि में किसी भी दावे की बहुलता है?

28. आटे मिल के मामले में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जाने चाहिए: -

(क) अगर रेल द्वारा ढोया गया हो तो रेलवे विभाग का सुपुर्दगी प्रमाण पत्र

(ख) सड़क मार्ग से कच्चे माल के परिवहन के मामले में कृषि उपकर भुगतान चालान (जहां लागू हो)

(ग) मात्रा और मूल्य को दर्शाने वाला बिक्री कर विभाग द्वारा अधिप्रमाणित तिमाही बिक्री कर रिटर्न जो दावे की अवधि को पूरा कर रहा हो

(घ) सभी रेलवे रसीदें परेषिती के रूप में ईकाई के नाम में होनी चाहिए

(ड.) रेलवे स्टेशन से कारखाने तक लाये गये कच्चे माल का विस्तृत विवरण और भुगतान केवल चेक द्वारा किया जाना चाहिए

(च) उपयुक्त प्राधिकारी से प्रत्येक कोटा (चाहे प्राप्त हो गया हो अथवा नहीं) के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित प्रमाणपत्र

अनुबंध- V

माल-भाड़ा राजसहायता योजना, 2013 के तहत पंजीकृत प्रत्येक इकाई के लिए उद्योग निदेशालय द्वारा रखे जाने वाला मैट्रिक्स

इकाई का नाम: _____

वाणिज्यिक उत्पाद शुरू होने की तारीख:_____

दावे की अवधि	प्रथम वर्ष				द्वितीय वर्ष				तृतीय वर्ष				चतुर्थ वर्ष				पंचम वर्ष			
	तिमाही				तिमाही				तिमाही				तिमाही				तिमाही			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
डीआईसी में प्राप्ति की तिथि																				
एसएलसी में प्राप्ति की तिथि																				
एसएलसी द्वारा सिफारिश की गई दावे की राशि (रुपये में)																				
टिप्पणियाँ																				

अनुबंध- VI

माल-भाड़ा राजसहायता योजना, 2013 के तहत राजसहायता के दावों पर विचार करने के लिए एसएलसी को प्रस्तुत की जाने वाली जांच - सूची

1. इकाई का नाम और पता
2. दावे की अवधि
3. डीआईसी में दावा प्राप्ति की तिथि
4. क्या डीआईसी को दावा, औद्योगिक इकाई द्वारा किए गए व्यय जिसके लिए दावा किया गया है, की तारीख के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया गया है?
5. इकाई द्वारा किये गये दावे की राशि
6. उद्योग निदेशालय द्वारा सिफारिश की गई दावे की राशि
7. योजना की अधिसूचना के अनुबंध -III के अनुसार, जांच - सूची की संवीक्षा की गयी (केवल पहले दावे के लिए)
8. योजना की अधिसूचना के अनुबंध - IV के अनुसार, जांच - सूची की संवीक्षा पूर्ण की गयी
9. 5 साल की दावा अवधि की पात्रता (योजना की अधिसूचना के अनुबंध - V के अनुसार उद्योग निदेशालय द्वारा रखे जाने वाले मैट्रिक्स द्वारा पुष्टि की जानी है)
10. दावा की जा रही राजसहायता की मात्रा के संदर्भ में प्रतिशत के रूप में इकाई की पात्रता? (अर्थात 50-90%)
11. क्या यह दावा न्यायाधीन है?
12. इस दावे की अन्य सरकारी एजेंसियों जैसे आबकारी विभाग, बिक्री कर कार्यालय, राज्य परिवहन प्राधिकरण और विद्युत विभाग द्वारा भी जाँच की गई है
13. 'उप उत्पादों' पर राजसहायता का दावा नहीं किया गया
14. तैयार माल/ कच्चे माल पर दावा की गई राजसहायता उत्पादन फर्म की विनिर्माण क्षमता से अधिक नहीं है
15. दावा, योजना के अंतर्गत परिभाषित विनिर्माण क्रियाकलाप से संबंधित है
16. मामला विशिष्ट जाँच: -

(क) लकड़ी पर आधारित इकाई के लिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा किया गया है.

(ख) "अपने वाहन" के संबंध में परिवहन के किसी भी दावे को मंजूरी नहीं दी गई है

(ग) सीमेंट उत्पादन इकाइयों द्वारा कोक ब्रीज के परिवहन को शामिल नहीं किया गया है

(घ) आटा मिलों द्वारा किया गया दावा भारतीय खाद्य निगम से खरीदे गये गेहूं के संबंध में नहीं है

17. राजसहायता का दावा, कच्चे माल की वास्तविक खपत तक सीमित है न कि खरीदे गए कुल कच्चे माल तक
18. क्या परिवहन लागत संबंधी सभी लेन-देन, जिसका दावा औद्योगिक इकाई द्वारा किया गया है, वह केवल चेक/ माँग ड्राफ्ट/ बैंक स्थानान्तरण द्वारा किया गया है ?
19. टिप्पणियाँ (यदि कोई हो तो)

प्रतिलिपि, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए:

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग और योजना आयोग ।

(ii) अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्य, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के संघ शासित क्षेत्र के मुख्य सचिव।

(iii) अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्य, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के संघ शासित क्षेत्र के सचिव(उद्योग)।

337 GI/13-5

(iv) पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई).
(v) हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचपीएसआईडीसी).
(vi) जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी).
(vii) उत्तरांचल राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (एसआईडीसीयूएल)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:
(i) मंत्रिमंडल सचिवालय
(ii) प्रधानमंत्री कार्यालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
NOTIFICATION
New Delhi, the 22nd January, 2013

F. No. 11(5)/2009-DBA-II/NER.—The Government of India has approved the following scheme for grant of freight subsidy to eligible industrial units located in selected States/UTs/districts on transportation of raw materials and finished goods to and from certain selected areas with a view to promoting growth of industries there:-

1. Short title and commencement – (1) This Scheme may be called the Freight Subsidy Scheme, 2013.

(2) It comes into effect on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Coverage- Unless otherwise specified, the Scheme will cover all industrial units in the selected areas (A), (B), (C) and (D).

3. Definitions- In this Scheme, unless the context otherwise requires,

(a) **'Designated Rail-Head'** in relation to a selected area means the nearest designated rail-head mentioned against such selected area in **Annexure-I** of this notification.

(b) **'Diversification'** means production of new article(s) by an industrial unit. The sale value of diversified articles should not be less than twenty five per cent of the turnover, during the previous financial year computed at the full registered capacity of the unit.

(c) **'Existing Industrial Unit'** means an industrial unit where manufacturing activity has commenced before the date of publication of the Scheme in the Official Gazette.

(d) **'Finished Goods'** means the goods actually produced by an industrial unit and for which it is registered.

(e) **'Industrial Unit'** means an industrial unit where a manufacturing activity is carried on.

(f) **'Manufacturing Activity'** means "An activity which brings about a change in non-living physical object or article or thing (i) resulting in transformation of the object or article or thing into a new and distinct object or article or thing having a different name, character and use; or (ii) bringing into existence of a new and distinct object, article or thing with a different chemical composition or integral structure."

(g) **'New Industrial Unit'** means an industrial unit where manufacturing activity has commenced on or after the date of publication of the Scheme in the Official Gazette.

(h) **'Nodal Agency'** means the respective agencies designated, under para 12 of this notification, for disbursement of subsidy under the scheme to the eligible industrial units.

(i) **'Raw Materials'** means any raw materials actually required and used by an industrial unit in manufacturing of the finished goods for which it is registered.

(j) **'Registered Capacity'** means "capacity for which the unit has been registered with the Central/State Government as reflected in Industrial License/Industrial Entrepreneur's Memorandum Part-B/Entrepreneur's Memorandum Part-II".

(k) **'Scheme'** means the Freight Subsidy Scheme, 2013.

(l) **'Selected Area (A)'** means the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura.

(m) **'Selected Area (B)'** means the States of Sikkim and Jammu and Kashmir.

(n) **'Selected Area (C)'** means the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep.

(o) **'Selected Areas (D)'** means the State of Himachal Pradesh, Darjeeling district of West Bengal and the State of Uttarakhand (excluding district of Haridwar).

(p) **'Substantial Expansion'** means an increase of at least 25% of the registered capacity of the industrial unit through additional capital investment. However, if such increase is due to merger/amalgamation of two or more industrial units, it will not be considered as substantial expansion for the purpose of subsidy under the scheme.

4. Sunset clause - The scheme will automatically terminate after five years from the date of its publication in the Official Gazette.

5. Ineligible industries/goods/movements (Negative List) – (1) The industrial units/items listed in **Annexure-II** of this notification will not be eligible for subsidy under the Scheme.

(2) Unless otherwise specified, subsidy under the scheme will not be applicable to Industrial Unit for movement of raw materials and finished goods within the State/ Union Territory in which they are located.

6. Applicability- Unless otherwise specified,

(1) This scheme is applicable to all eligible industrial units, both in the public and the private sectors irrespective of their size, located in the selected areas and which commence commercial production within the period of validity of the scheme.

(2) Subsidy under the Scheme will be admissible to eligible industrial units for a period of five years from the date of commencement of commercial production.

(3) Eligible industrial units in Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) Sector, which undergo substantial expansion during the period of validity of the scheme, will be provided subsidy under the scheme for an additional period of five years from the

date of commencement of commercial production consequent to substantial expansion, over and above the subsidy already drawn.

(4) Existing eligible industrial units located in the selected areas are also eligible for subsidy under the scheme in respect of the additional transport costs of raw materials and finished goods arising as a result of substantial expansion or diversification effected by them after the commencement of the Scheme. Subsidy in such cases will be restricted to the transport costs of the additional raw materials required and additional finished goods produced as a result of the substantial expansion or diversification.

7. Quantum of Subsidy-(1) Unless otherwise specified, the quantum of subsidy to the industrial units located in Selected Area (A) would be computed as follows:

(a) 90% of the transport cost for movement of raw materials by rail from nearest designated rail-head i.e. Siliguri/New Jalpaiguri to the railway station nearest to the location of the industrial unit and thereafter the cost of movement by road to the location of industrial unit will be reimbursed. Similarly, while calculating the transport costs of finished goods the cost of movement by road from the location of industrial unit to the nearest railway station and thereafter the cost of movement by rail to Siliguri/New Jalpaiguri will be reimbursed. For materials moving entirely by road or any other mode of transport, reimbursement of the transport cost will be limited to the amount which the industrial unit might have paid, had the raw material moved from Siliguri/New Jalpaiguri by rail upto the railway station nearest to the location of the industrial unit and thereafter by road. Similarly in the case of movement of finished goods moving entirely by road or any other mode(s) of transport in such selected area, reimbursement of the transport costs will be limited to the amount which the industrial unit might have paid had the finished goods moved from the location of the industrial units to the nearest railway station by road and thereafter by rail to Siliguri/New Jalpaiguri. In case of transportation of raw material/finished goods by Inland Water Transport, an industrial unit will be eligible for subsidy equivalent to 90% of the transport cost for transportation by Inland Waterways Transport (IWT) from

337 GI/13-6

Dhubri to any other location on the Brahmaputra river right upto Sadiya along the National Waterway-2 and thereafter by road to the industrial unit and vice-versa, in respect of raw materials which are brought into and finished goods which are taken out of such selected area. However in such cases, subsidy will be subject to a ceiling of 90% of the amount which the industrial unit might have paid had the transportation been undertaken from Siliguri/New Jalpaiguri (designated Rail head) by rail up to railway station nearest to the location of the industrial unit and thereafter by road and vice- versa.

(b) Reimbursement of 90% of the transport costs for movement of raw materials from one State to another within such selected area. The actual cost of transportation or, the cost of movement by road from where raw material is being procured to the railway station nearest to it and thereafter by rail from that railway station to the Railway Station nearest to the industrial unit and subsequently by road to the location of the industrial unit, whichever is less, will be taken into account.

(c) Reimbursement of 50% of the transport costs for movement of finished goods from one State to another within such selected area. The actual cost of transportation or, the cost of movement from the location of the industrial unit to the nearest Railway Station by road and thereafter by rail to the railway station nearest to the location where the finished goods is to be received and subsequently by road from that railway station to the location where finished goods has been received, whichever is less, will be taken into account.

(d) Reimbursement of 90% of transport costs for movement of steel as raw material from Guwahati Stockyard of Steel Authority of India Limited (SAIL) upto the location of the industrial units.

(e) Reimbursement of 75% of the air freight on movement of electronic components/products partly by air and partly by rail/road. The subsidy would be admissible @75% on the air freight from Calcutta upto the airport nearest to the

location of the industrial unit and thereafter @ of 90% for movement by rail/road upto the location of the industrial unit and vice-versa.

(2) Unless otherwise specified, the quantum of subsidy admissible to an industrial unit located in Selected Area (B) would be as under:

(a) 90% of the transport cost for movement of raw materials and/or finished goods between the location of the industrial unit and the nearest designated rail-head by road and vice versa or actual, whichever is less will be reimbursed, if raw material is brought into and finished goods are taken out of such selected area.

(b) In the case of industrial units located in the state of Jammu & Kashmir, if movement of electronic components/products takes place partly by air and partly by rail/road, the subsidy would be reimbursed @75% on the air freight from Delhi to the airport nearest to the location of the industrial unit and thereafter @90% for movement by rail/road upto the location of the industrial unit and vice-versa.

(3) Unless otherwise specified, the quantum of subsidy admissible for reimbursement to an industrial unit located in Selected Area (C) would be 90% of the transport costs by sea and road between Chennai Port and the location of the industrial unit in the case of Andaman & Nichobar Islands and between Cochin Port and the location of the industrial unit in the case of Lakshadweep, if raw material is brought into and finished goods are taken out of such selected area. If any other port on the mainland is used for the purpose of freight subsidy, the transport costs will be taken, as what the industrial unit would have incurred had Chennai or Cochin Port, as the case may be, been used, or the actual transport costs, whichever is less.

(4) Unless otherwise specified, the quantum of subsidy admissible to an industrial unit located in Selected Area (D) would be as under:

(a) 75% of the transport costs for movement of raw materials and/or finished goods between the location of the industrial unit and the nearest designated rail-head and vice versa, if raw material is brought into and finished goods are taken out of such selected area.

(b) 75% of transport costs for movement of steel as raw material from the Stockyard of Steel Authority of India Limited (SAIL) at Parwanoo upto the location of the industrial units in the State of Himachal Pradesh.

(c) 75% of transport costs for movement of industrial raw materials from the State Corporation's designated depots situated in eligible districts of Uttarakhand and Himachal Pradesh to the site of the industrial unit located in the hill districts of the State.

(d) In the case of industrial units located in the state of Himachal Pradesh, if movement of electronic components/products takes place partly by air and partly by rail/road, the freight subsidy would be reimbursed @75% on the air freight from Delhi to the airport nearest to the location of the industrial unit and thereafter @75% for movement by rail/road upto the location of the industrial unit and vice-versa.

8. Registration under the Scheme- (1) Industrial unit, desirous of claiming subsidy under the Scheme, shall get registered with the District Industries Centre concerned, prior to the date of commencement of its commercial production for new industrial units or before undertaking substantial expansion for existing industrial unit.

(2) The General Manager of the District Industries Centre concerned shall be the competent authority to issue Registration Certificate. No industrial unit should be registered for benefits under the scheme if such industrial unit is covered under Negative List given at Annexure – II of this notification.

9. Submission of claim under the scheme- (1) The industrial unit, claiming subsidy under the Scheme shall submit its claims in the prescribed application form, as applicable from time to time, to the District Industries Centre concerned; along with requisite documents, within one year from the date of incurring expenditure on

transportation of raw material and finished goods on which subsidy is being claimed by it. The documents which are required to be submitted with each claim application are listed in **Annexure-III** of this notification. In addition, the documents which are required to be submitted only with first claim under the scheme are listed in **Annexure-IV** of this notification. State Government/Union Territory concerned or Central Government may also lay down the production of any other documents which in their opinion is necessary to decide the eligibility of claimant industrial unit for subsidy under the scheme.

(2) The number of subsidy claims under the scheme that may be preferred by an industrial unit shall not ordinarily exceed one every quarter. However, the Director of Industries may at his discretion entertain more number of claims in a financial year, if the financial position of the industrial unit so warrants.

10. Role and functions of the State Government/Union Territory Administration under the scheme- (1) The State Government/Union Territory Administration concerned shall prescribe a system of registration of industrial units which seek to apply for subsidy under the scheme prior to commencement of commercial production. At the time of such registration, the unit shall declare its capacity as indicated in Industrial Licence/Industrial Entrepreneur's Memorandum-Part-A/ Entrepreneur's Memorandum-I.

(2) The State Government/Union Territory Administration concerned shall set up a State Level Committee (SLC), consisting of the Principal Secretary/ Secretary (Industry Department of the State Government/Union Territory concerned), Director of Industries of the State/Union Territory concerned and a representative each from the Finance Department of the State/Union Territory concerned, Transport Department of the State/Union Territory concerned, nodal agency concerned and Department of Industrial Policy & Promotion, Government of India, for disbursement of subsidy, to consider and recommend all subsidy claims, under the scheme, arising in the State/Union Territory.

(3) State Government/Union Territory Administration concerned shall draw up procedures and arrangements for scrutinizing the claims for subsidy under the scheme.

(4) State Government/Union Territory Administration concerned shall carry out periodical checks to ensure that the raw materials and the finished goods in respect of

337 E/5713-7

which subsidy under the scheme has been given were actually used/produced for the purpose by a system of scrutinizing of consumption of the raw materials and the output of the finished goods and cross verification with power consumed, payment of VAT, excise duty etc.

(5) The claim documents submitted by the eligible industrial units shall be scrutinized by the District Industries Centre concerned and their official(s) shall also carry out physical verification of the industrial unit to ensure its physical existence as well as the genuineness of the claim before forwarding its recommendation to Directorate of Industries for further consideration.

(6) Directorate of Industries of the State/Union Territory concerned shall verify the claim documents and the recommendations of the District Industries Centre prior to placing the same before the SLC. They will coordinate the meetings of the SLC; prepare the agenda notes and minutes of such meetings.

(7) State Government/Union Territory Administration concerned shall maintain a matrix as per **Annexure-V** of this notification in respect of every industrial unit registered under the scheme. The Director and Financial Advisor of the concerned Directorate of Industries shall submit to the SLC a check-list as per **Annexure-VI** of this notification for each and every claim which is placed before the SLC for its consideration.

(8) State Government/Union Territory Administration concerned shall refer the subsidy claims recommended by the SLC to the Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India.

(9) State Government/Union Territory Administration concerned shall ensure at least one meeting of the SLC in every three months to avoid accumulation of claim cases. The agenda note for the SLC meeting, giving details of the claim cases as per **Annexure-VI**, shall be circulated at least two weeks in advance to all the members of the SLC.

11. Role and functions of the SLC- (1) The SLC will operate at the State/Union Territory Level and will examine and recommend all claims of subsidy under the scheme arising in the State/Union Territory concerned.

(2) The SLC shall ensure that the recommendations made are with due diligence and after cross verification with the documents of the concerned Departments to ensure that transportation of such raw materials/finished goods has actually taken place for which subsidy is being recommended. It may also be ensured that the subsidy amount being recommended by the SLC does not involve any cash payment made by the unit for transportation of raw material / finished goods.

(3) Along with other necessary documents, the SLC shall also ensure that the claimant has submitted proof of raw materials 'imported' into and finished goods 'exported' out of the selected States/Union Territory/areas where the industrial unit is located, from the registered chartered accountants. The SLC may lay down the production of any other documents which in its opinion is necessary to recommend the eligibility of claimant for the subsidy under the scheme. The Directorate of Industries of the State Government/Union Territory concerned would give a certificate of such verification made by them.

(4) SLC shall also ensure that the subsidy being claimed by the unit is not arising out of transportation of raw material and finished goods by their own goods carriers.

12. Nodal agencies – (1) Unless otherwise specified, the respective nodal agencies for disbursement of subsidy under the scheme shall be as follows:-

(a) the North East Development Finance Corporation (NEDFi) for the State of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim;

(b) the Himachal Pradesh State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd. (HPSIDC) for the State of Himachal Pradesh;

(c) the Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Ltd. (JKDFC) for the State of Jammu & Kashmir and

(d) the State Industrial and Infrastructure Development Corporation of Uttaranchal (SIDCUL) for the State of Uttarakhand

(2) In the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep, disbursements of subsidy to the industrial units will be made through the Union Territory administration.

(3) In the case of Darjeeling District of West Bengal, disbursements of subsidy to the industrial units will be made through the State Government.

13. Role and functions of Nodal Agency- (1) The nodal agency shall, after careful scrutiny of the freight subsidy claims in accordance with the provisions of the scheme and the guidelines issued to them separately from time to time, disburse freight subsidy to the eligible industrial units by the electronic mode from the fund released by the Department of Industrial Policy and Promotion.

(2) Immediately after disbursal of subsidy but not later than one month from the date of receipt of funds from the Central Government, nodal agencies will furnish utilization certificate prescribed under General Financial Rules (GFR) to the Department of Industrial Policy & Promotion alongwith a list of industrial units to whom subsidy has been disbursed giving details of date of disbursement, mode of payment etc. If the nodal agency is unable to disburse subsidy to some of the industrial units within one month from the date of release of funds for such industrial units by the Central Government, the reason for the same alongwith a list of such industrial units shall be forwarded by the nodal agency concerned to the Central Government with a copy to the State Government/Union Territory Administration concerned.

14. Role of the Central Government- (1) The Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and Industry, Government of India will periodically review and suggest modification(s) in procedure for scrutiny of the claims, payment of freight subsidy, etc.

(2) Wherever needed, DIPP shall arrange for pre-scrutiny of the subsidy claims recommended by the SLCs before releasing funds to the Nodal Agencies for disbursement to the eligible industrial units.

(3) Any clarification, if required, on any of the provision of the scheme will be provided by the Department of Industrial Policy and Promotion and the same shall be final and binding on all concerned.

15. Other features of the Scheme- (1) Freight charges for movement by

road/sea will be determined on the basis of transport/transshipment rates fixed by the Central Government/State Government/Union Territory Administration concerned from time to time or the actual freight paid, whichever is less.

(2) Cost of loading or unloading and other handlings charges from railway station/airport/port to the site of the industrial unit will not be taken into account for the purpose of determining transport costs.

(3) In the case of small industrial units with a capital investment of Rs.1,00,000 or less, the requirement of production of certificate, regarding the proof of raw materials, 'imported' into and finished goods 'exported' out of the selected States/Union Territory/areas where the industrial unit is situated, from Chartered Accountant may be waived subject to the condition that such claims are properly verified by the concerned State Government/Union Territory authorities before the subsidy is sanctioned. The State Government/Union Territory authorities would give a certificate of such verification made by them.

(4) In the State of Mizoram, if it is not possible for the existing industrial units to furnish a certificate from a registered Chartered Accountant for non-availability of a registered Chartered Accountant, the industrial unit(s) may be asked to provide a certification from the sale tax authorities and counter signed by Commissioner/Director Industries of the State for transportation of raw material/finished goods in lieu of Chartered Accountant certificate. The position regarding availability of registered Chartered Accountant may be reviewed regularly by the Government of Mizoram and the alternate course of providing certificate may be suspended as and when a registered Chartered Accountant becomes available and thereafter the industrial units may be asked to provide the required certificate from a registered Chartered Accountant.

16. All false statements made by an industrial unit or any misrepresentation of facts by it will disqualify it from the grant of freight subsidy under the scheme . However, before disqualifying, a reasonable opportunity will be given to the industrial unit to state its case.

17. The 'Transport Subsidy Scheme (TSS), 1971' announced vide

337 GI/73-8